न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 409/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़	**बनाम**	1. धन्नालाल पिता भीमड़ा बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षैत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17(अ)

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 17.11.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षैत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता की आ.न. 1180/608 रकबा 1.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं। विपक्षीगणों के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता की आ.न. 1180/608 रकबा 1.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा